

जनप्रतिनिधि सदन के भीतर और बाहर अपने व्यवहार को संयमित और गरिमामय रखें: लोक सभा अध्यक्ष

...

डिजिटल संसद परियोजना' सांसदों एवं नागरिकों के बीच संपर्क का प्रभावी माध्यम बनेगी: लोक सभा अध्यक्ष

...

मादक पदार्थों का सेवन बोर्डरलेस समस्या है जिसकी चुनौतियां विशिष्ट हैं: लोक सभा अध्यक्ष

...

मादक पदार्थों से निपटने के लिए ड्रग लॉ एंफोर्समेंट और सीमावर्ती राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।: लोक सभा अध्यक्ष

...

यदि आवश्यक हुआ तो साइबर बुलडिंग से निपटने के लिए कठोर कानून पारित किए जाएंगे: लोक सभा अध्यक्ष

...

नीतियों और कानूनों में समय के अनुसार बदलाव हो जिससे चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत बनाया जा सके: लोक सभा अध्यक्ष

...

नशा और मादक द्रव्यों के वजह से युवा देश की मुख्य धारा से जुड़ने में विफल रहते हैं: सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य

...

नशा नियन्त्रण का लक्ष्य सामुहिक प्रयास से ही प्राप्त हो सकता है: सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग

...

जनप्रतिनिधियों का पहला कर्तव्य लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास की रक्षा करना है: श्री हरिवंश

...

लोक सभा अध्यक्ष ने गैंगटॉक में सीपीए भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक जोन III सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित किया

...

गैंगटॉक; 24 फरवरी, 2023: लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने आज गैंगटॉक, सिक्किम में सीपीए भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक जोन III सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित किया।

सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य; सिक्किम के मुख्यमंत्री, श्री प्रेम सिंह तमांग; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और सीपीए भारत क्षेत्र जोन-III के अध्यक्ष, श्री पासंग डी. सोना; सिक्किम विधान सभा के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार उप्रेती; भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी; संसद सदस्य; सिक्किम विधानमंडल के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे।

इस अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने राजनितिक विमर्श में असंसदीय व्यवहार एवं अवांछनीय शब्दावली के प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से लोकतान्त्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास क्षीण होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता आवश्यक है क्योंकि जनमानस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। श्री बिरला ने सुझाव दिया कि जनप्रतिनिधि सदन के भीतर और बाहर अपने व्यवहार को संयमित और गरिमामय रखें। श्री बिरला ने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधियों की ओर पूरा देश देखता है; वे जो कहते हैं, जो करते हैं, वह मिसाल बनती है, जो कि जनप्रतिनिधियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि सदन के भीतर और बाहर जनप्रतिनिधियों का आचरण, व्यवहार और शब्दावली ऐसी होनी चाहिए जो समाज में सकारात्मक संदेश दे तथा आदर्श स्थापित करे और यह बात देश की प्रत्येक लोकतांत्रिक संस्था पर लागू होती है। श्री बिरला ने कहा कि नागरिकों के प्रति जितना दायित्व प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के सदनों का है, उतना ही स्थानीय निकायों और पंचायतों की भी है।

अपने भाषण में श्री बिरला ने सीपीए भारत क्षेत्र जोन III की विधायी संस्थाओं के बीच नियमित चिंतन मंथन में सक्रिय भूमिका की सराहना की। श्री बिरला ने कहा कि अपार संभावनाओं से परिपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र व्यापक चर्चा संवाद के माध्यम से क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान निकाल रहा है और देश की विकास यात्रा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों और क्षेत्र के लोगों के अथक प्रयासों के कारण गत कुछ वर्षों में इस क्षेत्र के आठ राज्यों ने अपनी विकास - यात्रा में लंबी छलांग लगाई है।

सम्मेलन के लिए तीन विषयों अर्थात् 'संसद और विधान सभाओं को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना,' 'मादक पदार्थों का सेवन और इस समस्या से निपटने हेतु भावी योजना, और 'साइबर बुलिंग' के विषय

में श्री बिरला ने कहा कि क्षेत्र के सभी राज्यों के संदर्भ में ये तीनों ही विषय बहुत प्रासंगिक हैं और इन पर गहन चर्चा की गई है।

'संसद और विधान सभाओं को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने' विषय पर श्री बिरला ने कहा कि आज के समय में तकनीक में तेजी से बदलाव हो रहा है, इसलिए हम सभी को सक्रिय रहना होगा। श्री बिरला ने बताया कि संसद में महत्वाकांक्षी 'डिजिटल संसद परियोजना' पर कार्य चल रहा है जिसका प्रमुख उद्देश्य संसद के कार्यकरण को लोगों के लिए और सुलभ बनाना तथा सांसदों एवं नागरिकों के बीच संपर्क का एक प्रभावी माध्यम बनाना है।

सम्मलेन के दूसरे विषय पर श्री बिरला ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय समस्या है। यह एक बॉर्डरलेस क्राइम है, जो इस समस्या को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना देता है। पूर्वोत्तर राज्यों की से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा पहाड़ी भूभाग के सन्दर्भ में श्री बिरला ने कहा कि, ऐसी परिस्थिति में क्षेत्र में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार का खतरा अधिक है। श्री बिरला ने कहा कि मादक पदार्थों के इस खतरे से निपटने के लिए न केवल सभी ड्रग लॉ एंफोर्समेंट और खुफिया एजेंसियों के बीच बल्कि इस क्षेत्र के सभी सीमावर्ती जिलों तथा राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। श्री बिरला ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को सभी स्तरों पर सहयोग और समन्वय करने तथा हर समुदाय तक अपनी बात पहुंचाने का आग्रह किया और इस मुहीम को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया।

साइबर-बुलिंग के विषय में श्री बिरला ने असम सरकार के सुरक्षा अभियान हेतु यू-रिपोर्ट, इंटरैक्टिव डिजिटल टूल की प्रशंसा की और इस पहल को अन्य राज्यों में लागू किए जाने पर जोर दिया। श्री बिरला ने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और एक-दूसरे से सीखने के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं। श्री बिरला आगे कहा कि पूर्वोत्तर के युवाओं को "एडवांसिंग नॉर्थ ईस्ट" के माध्यम से अपनी क्षमता संवर्धन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और उद्यमिताशीलता के संबंध में आवश्यक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। श्री बिरला ने सभी से आग्रह किया कि वे नीतियों और कानूनों में सुधार और समय के अनुसार बदलाव करें ताकि आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो साइबर बुलिंग से निपटने के लिए कठोर कानून पारित किए जाएंगे।

अपने समापन भाषण में सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ एक समुदाय के रूप में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के उच्चतम मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ मिलकर काम करता है। यह सदस्यों के बीच नियमित परामर्श, विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मशीनरी प्रदान कर राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों की सेवा के लिए एक संघ के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है।

श्री आचार्य ने सम्मेलन के लिए चयनित विषयों पर बोलते हुए कहा कि संसद और विधायिका को नागरिक के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए, एक विधायक/संसद के रूप में सबसे पहले नागरिक के प्रति प्रेम

-करुणा के मूल मूल्य को विकसित करने की आवश्यकता है। यह मूल्य हमें दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है और जितना अधिक हम दूसरों को समझेंगे, उतना ही अधिक हम उनके दुखों को दूर करने में सक्षम होंगे, श्री आचार्य ने कहा। नशा और मादक द्रव्यों के युवाओं पर प्रभाव पर बोलते हुए श्री आचार्य ने कहा कि नशा और मादक द्रव्यों के वजह से युवा देश की मुख्य धारा से जुड़ने में विफल रहते हैं या यदि वे जुड़ते भी हैं तो उनकी उपस्थिति नगण्य होती है। इसलिए समय आ गया है कि विधायक इस मुद्दे की जड़ की पहचान करें और इसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का प्रयास करें। श्री आचार्य ने आव्हान किया कि एक तरफ हम सब मिलकर इस सामाजिक समस्या से लड़ें और दूसरी तरफ नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए कड़े कानून प्रवर्तन, बेहतर पुनर्वास केंद्र और युवाओं के लिए अधिक खेल परिसर हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक साथ काम करके, हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, श्री आचार्य ने जोर देकर कहा। साइबर सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी को साइबर अपराध के बढ़ते मामलों का संज्ञान लेना चाहिए। ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना और पीड़ितों का समर्थन करना आज की मांग है।

इस अवसर पर बोलते हुए सिक्किम की मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि सम्मेलन में तीन महत्वपूर्ण मुद्दे "संसद या विधानसभा को आम लोगों के लिए कैसे सुलभ बनाया जाए", "मादक पदार्थों के सेवन और इसका निदान" और तिसरा- "Cyber-Bullying" पर गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं पर नियमित बहस होनी चाहिए क्योंकि यह संकट किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है लेकिन विश्व स्तर पर फैल चुका है। श्री तमांग ने आशा व्यक्त किया कि सम्मलेन में जो विचार-विमर्श हुआ उनके आधार पर भविष्य में एक मजबूत नीति बनेगी। नशीले पदार्थों की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए श्री तमांग ने कहा कि सिक्किम प्रशासन नियमित रूप से नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। स्कूली बच्चों के लिए पोस्टर पेंटिंग, तर्क प्रतियोगिता निबन्ध प्रतियोगिता, नाटकों का मंचन, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आदि जागरूकता कार्यक्रम कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि नशा नियन्त्रण की लक्ष्य हासिल करना अकेले सम्भव नहीं है, इस में सरकार, विभागों और आम नागरिकों की सामुहिक जिम्मेदारी है और सामुहिक प्रयास ही सफल हो सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन अनुरूप "नशा मुक्त भारत" बनाने के लक्ष्य में हम जोर देकर काम कर रहे हैं, श्री तमांग ने कहा।

इस अवसर पर राज्य सभा के उप सभापति श्री हरिवंश ने कहा कि विधायी संस्थाओं के लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास की रक्षा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि विधायी संस्थानों के कार्य और प्रक्रियाएं नागरिकों के लिए समावेशी और सुलभ हों। इस दिशा में श्री हरिवंश ने कहा कि विधायी संस्थानों का जनता के लिए अधिक उत्तरदायी और सुलभ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे एक सुविज्ञ और सहभागी नागरिक वर्ग तैयार होगा और जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच अधिक गहरा जुड़ाव पैदा होगा।

श्री पासंग डी. सोना, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और सीपीए भारत क्षेत्र जोन -III के अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला को सम्मेलन आयोजित करने में उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। श्री सोना ने कहा कि सम्मेलन के लिए चुने गए विषयों का समाज के सभी वर्गों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और आशा व्यक्त की कि इन मुद्दों पर सम्मेलन में विस्तृत चर्चा और सम्मेलन के परिणाम का समाज को सकारात्मक दिशा में ले जायेगा और लोगों के जीवन में सुधार लाने में दूरगामी प्रभाव डालेगा। श्री सोना ने कहा कि सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं से युवाओं को अत्यधिक लाभ होगा।

श्री कुंगा नीमा लेप्चा, संसदीय कार्य मंत्री, सिक्किम सरकार ने धन्यवाद ज्ञापित किया।